उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–20/7/86/का–2–टी.सी.
लखनऊः दिनांकः 18 जुलाई, 2008

अधिसूचना संख्या20/ 7/ 86–का– 2–टी.सी./ 2008 दिनांक 18 जुलाई, 2008 के द्वारा प्रख्यापित समूह 'घ' कर्मचारी सेवा(चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2008 (अंग्रेजी रूपान्तर सहित) की संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
3– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,उत्तर प्रदेश।
4– सचिव,राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
5– सचिव,विधान सभा/विधान परिषद,उत्तर प्रदेश।
6– सचिव,लोक सेवा आयोग,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
7– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8– सचिव,राजस्व परिषद,उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से,
एस0एन0 प्रसाद,
विशेष सचिव।

म-संख्या-349

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०-91/2008-10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 18 जुलाई, 2008

आषाढ़ 27, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 20/7/86-टी0सी0—का-2-2008

लखनऊ, 18 जुलाई, 2008

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-40

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली,1985 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

समूह 'घ' कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली,2008

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली समूह 'घ' कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2008 कही जाएगी।

(2) यह 3 जुलाई, 2008 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

निमय 10 का प्रतिस्थापन

2–समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली,1985 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात :–

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
शैक्षिक अर्हता	10–(1) चपरासी, संदेशवाहक या साइक्लोस्टाइल आपरेटर के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी कम से कम पाँचवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।	शैक्षिक अर्हता	10–(1) चपरासी, संदेशवाहक या साइक्लोस्टाइल आपरेटर के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी कम से कम पाँचवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
	(2) किसी अन्य श्रेणी के पद के लिए कोई शैक्षिक अर्हता अपेक्षित नहीं किन्तु उस व्यक्ति को अधिमानता दी जाएगी जो शिक्षित हो या कम से कम देवनागरी लिपि में हिन्दी लिख और पढ़ सकता हो।		(2) किसी अन्य श्रेणी के पद के लिए कोई शैक्षिक अर्हता अपेक्षित नहीं है, किन्तु ऐसे व्यक्ति को अधिमानता दी जाएगी जो शिक्षित हो या कम से कम देवनागरी लिपि में हिन्दी लिख और पढ़ सकता हो।
	(3) कोई व्यक्ति माली के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे माली के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो।		(3) कोई व्यक्ति माली के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे माली के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो।
	(4) कोई व्यक्ति दफ्तरी/ जिल्दसाज के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे जिल्दसाजी के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो।		(4) कोई व्यक्ति दफ्तरी/ जिल्दसाज के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे जिल्दसाजी के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो।
	(5) कोई व्यक्ति साइक्लोस्टाइल आपरेटर के रूप में किसी अन्य पद पर जिसके लिए तकनीकी ज्ञान अपेक्षित हो , नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे अपेक्षित तकनीकी ज्ञान और विशिष्ट कार्य के संबंध में समुचित अनुभव न हो।		(5) कोई व्यक्ति साइक्लोस्टाइल आपरेटर के रूप में किसी अन्य पद पर जिसके लिए तकनीकी ज्ञान अपेक्षित हो , नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे अपेक्षित तकनीकी ज्ञान और विशिष्ट कार्य के संबंध में समुचित अनुभव न हो।
	(6) समूह 'घ' के प्रत्येक श्रेणी के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी साइकिल चलाना जानता हो: परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों पर लागू न होगी।		(6) कोई व्यक्ति सफाईकार के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसे सफाईकार के कार्य का अपेक्षित ज्ञान एवं समुचित अनुभव न हो।
			(7) समूह 'घ' के प्रत्येक श्रेणी के पद

(7) अन्य बातों के समान होने पर ,ऐसे अभ्यर्थी को अधिष्ठान में सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो।

पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी साइकिल चलाना जानता हो :

परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों पर लागू न होगी।

(8) अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को अधिष्ठान में सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो।

नियम 16 का प्रतिस्थापन

3–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 16 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
चयन समिति का गठन	16. सीधी भर्ती एक चयन समिति द्वारा की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (1) नियुक्ति प्राधिकारी। (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक ऐसा अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का न हो। (3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्ग का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग का एक अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक ऐसा अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा जो अन्य पिछड़े वर्ग या	चयन समिति का गठन	16. किसी पद पर सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ संबंधित जिला मजिस्ट्रेट एक चयन समिति का गठन करेगा, जो निम्नवत् होगी : (एक) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी.।..... अध्यक्ष (दो) यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का न हो । .....सदस्य (तीन) यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्ग का न हो, तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग का एक अधिकारी, नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। यदि अध्यक्ष

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो:

परन्तु यदि उसके विभाग या संगठन में ऐसे उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो तो ऐसा अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा और यदि उपयुक्त अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण वह ऐसा करने में असफल रहे तो ऐसा अधिकारी मण्डलायुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा, जो अन्य पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो। ..... सदस्य

टिप्पणी :–

जिला मजिस्ट्रेट किसी विशेष कारण से एक से अधिक चयन समिति का गठन कर सकता है।

आज्ञा से,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 20/7/86-T.C.-Ka-2-2008, dated July 18, 2008 :

No. 20/7/86-TC- Ka- 2-2008
Dated, Lucknow July 18, 2008

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Group 'D' Employees Service Rules, 1985.

THE GROUP 'D' EMPLOYEES SERVICE (FOURTH AMENDMENT) RULES, 2008

Short title and commencement

1.(1) These rules may be called the Group 'D' Employees Service (Fourth Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from July 03, 2008.

Substitution of rule 10

2. In the Group 'D' Employees Service Rules, 1985, hereinafter referred to as the said rules, *for* existing rule 10 set out in column-1 below, the rule as set out in column 2 shall be *substituted*, namely:-

	COLUMN 1 *Existing rule*		COLUMN 2 *Rule as hereby substituted*
Academic Qualifications	10.(1) A candidate for recruitment to the post of peon, messenger or	Academic Qualification	10.(1) A candidate for recruitment to the post of Peon, Messenger or

cyclostyle operator must have passed at least class V, examination.

(2) No educational qualifications are required for any other categories of post but preferences will be given to a person who is educated or is at least able to read and write Hindi in Devnagri Script.

(3) No person shall be eligible for appointment to the post of Mali unless he is found to possess requisite knowledge pertaining to the work of a Mali and has good experience of that work.

(4) No person shall be eligible for appointment as Daftri, Book Binder unless he is found to possess requisite knowledge of Book Binding work and has good experience of that work.

(5) No person shall be eligible for appointment as cyclostyle operator or any other post requiring technical knowledge unless he is found to possess the requisite technical knowledge and has good experience pertaining to the particular job.

(6) A candidate for recruitment to each category of Group 'D' post must know cycling:

Provided that this condition shall not be applicable to female candidates.

Cyclostyle Operator must have passed at least Class V Examination.

(2)No educational qualifications are required for any other categories of post but preferences will be given to a person who is educated or is at least able to read and write Hindi in Devnagri script.

(3) No person shall be eligible for appointment to the post of Mali unless he is found to possess requisite knowledge pertaining to the work of a Mali and has good experience of that work.

(4) No person shall be eligible for appointment as Daftri, Book Binder unless he is found to possess requisite knowledge of Book Binding work and has good experience of that work.

(5) No person shall be eligible for appointment as Cyclostyle Operator or any other post requiring technical knowledge unless he is found to possess the requisite technical knowledge and has good experience pertaining to the particular job.

(6) No person shall be eligible for appointment to the post of Sweeper unless he is found to possess requisite knowledge pertaining to the work of Sweeper and has good experience of that work.

(7) A candidate who has served in the Territorial Army for a minimum period of two years shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment to the establishment.	(7) A candidate for recruitment to each category of Group 'D' post must know cycling: Provided that this condition shall not be applicable to female candidates. (8) A candidate who has served in the Territorial Army for a minimum period of two years shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment to the establishment.

Substitution of rule 16

3. In the said rules, *for* existing rule 16 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN 1 *Existing rule*	COLUMN 2 *Rule as hereby substituted*
Constitution of Selection Committee 16. Direct recruitment shall be made by a Selection Committee comprising: (1) Appointing Authority. (2) An officer belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribes, nominated by the appointing authority if the appointing authority does not belong to Scheduled Caste or Scheduled Tribes. If the appointing authority belongs to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, an officer other than belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes shall be nominated by the appointing authority. (3) An officer belonging to	Constitution of Selection Committee 16. For the purpose of direct recruitment to any post, the concerned District Magistrate shall constitute a Selection Committee as follows; *(i) An officer nominated by the District Magistrate .... Chairman* (ii) An officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes nominated by the District Magistrate, if the Chairman does not belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If the Chairman belongs to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, an officer other than belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other

the Other Backward Classes, shall be nominated by the appointing authority, if the appointing authority does not belong to the Other Backward Classes. If the appointing authority belongs to the Other Backward Classes an officer other than Other Backward Classes or Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall be nominated by the appointing authority:

Provided that if such suitable officer is not available in his department or organisation on such officer shall, on the request of the appointing authority, be nominated by the District Magistrate and on failure to do so, by reason of non availability of suitable officer, such officer shall be nominated by the Divisional Commissioner.

Backward Classes shall be nominated by the District Magistrate. .....*Member.*

(iii) An officer belonging to the Other Backward Classes shall be nominated by the District Magistrate, if the Chairman does not belong to the Other Backward Classes. If the Chairman belongs to the Other Backward Classes, an officer other than belonging to the Other Backward Classes or Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall be nominated by the District Magistrate. ..... *Member*

NOTE- The District Magistrate may, for any special reason, constitute more than one Selection Committee.

By order,

ANUP CHANDRA PANDEY,

Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 353 राजपत्र–(हिन्दी)–(743)–2008–597–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 सा० नियुक्ति–(744)–2008–2000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।